ISSN-2394-6326
Journal de Brahmavart

# बुन्देलखण्ड (उ.प्र.) में नगरीकरण की प्रक्रिया

**डॉ0 डी0के0 मिश्र**
एसो0 प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, भूगोल विभाग
बुन्देलखण्ड पी.जी. कॉलेज, झाँसी

बुन्देलखण्ड (उ.प्र.)के नगरों में विभिन्न प्रकार की भौतिक और सास्कृतिक समस्यायें विद्यमान हैं। विगत् शताब्दी में यहां के अधिकांश नगरों का बहुत तेजी से विकास हुआ। विभिन्न दशकों में कई कस्बे नगरीकरण की प्रक्रिया में जोड़े अथवा हटाये गये और कुछ कस्बे नगरीकरण के प्रभाव से विकसित कर पाने में अक्षम रहे। परिणामस्वरूप वे आज भी Rurban प्रकृति (संयुक्त रूप से ग्रामीण एवं नगरीय परिवेश) को दर्शाते है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश राज्य के इस पिछड़े भू–भाग में नगरीय पदानुक्रम का असंतुलित विकास पाया जाता है। स्थानीय नगरों की नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत उद्योगों का विकास नगण्य है और यहां की अधिकांश जनसंख्या के उत्पादकता आयु वर्ग का उपयोग किया जाना वांछित है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त भी जनसंख्या वृद्धि की दर मे कमी के उपरान्त कस्बों की उच्च जन्मदर आश्चर्यजनक है। यही कारण है कि कार्यशील जनसंख्या में निर्भरता अनुपात बहुत अधिक है। इससे कस्बाई क्षेत्र अनियोजित स्वरूप में प्रभावशील सड़का के किनारे सतत् रूप से बढ़ रहे हैं। सड़क मार्गों पर आवासीय संरचना का दबाव रहने पर उनकी पृष्ठभूमि में अनियोजित और अनियंत्रित तरीके से अवैध कॉलोनियाँ विकसित हो जाती है। इस क्षेत्र के प्रायः सभी नगरों में असंतुष्ट नगरीय प्रतिरूप का प्रभाव सामान्य विशेषता के रूप में दृष्टिगोचर होता है। प्रस्तुत शोध मे सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया है कि वर्तमान नागरिक सेवायें स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अक्षम हैं। और इन समस्याओं को तत्काल निराकृत नहीं किया जाता है तो भविष्य मे इनका परिणाम नगरीय पर्यावरण के लिये उपयुक्त नहीं होगा। इन समस्याओं को समुचित नियोजन प्रक्रिया से जोड़कर निराकृत किये जाने की महती आवश्यकता है। यद्यपि इस क्षेत्र के कस्बों की इस समस्या का निदान करना एक कठिन कार्य है फिर भी भूगोलविदों, भूगर्भशास्त्रियों, समाजविज्ञानियों, अर्थशास्त्रियों, अभियंताओं, स्वास्थ्य सेवकों, वित्तीय सलाहकारों एवं प्रभावशाली नागरिकों के साथ मिलकर एक विकास की योजना द्वारा निर्मूल किया जाना चाहिये। मेयर के अनुसार वैभिन्य प्रकृति के कारण कस्बों अथवा नगरो की योजनायें कुशल और बौद्धिक स्तर से विभिन्न हो जाती हैं। एक ही योजनाविद द्वारा इनको संचालित करने से समस्या का निदान वैयक्तिक स्वरूप ले लेता है।[1] शोधकर्ता द्वारा किये गये सर्वेक्षण के माध्यम से यहां के कस्बों का एक प्लान तैयार किया गया जिसके माध्यम से स्थानीय नगरो एवं कस्बों को बेहतर स्वरूप में विकसित किया जा सकता है। जैसा कि कहावत है कि ''दवा से पहले बीमार का अभिज्ञान करना आवश्यक है'' अतः इस क्षेत्र की कस्बों की मूलभूत समस्याओं का अभिज्ञान विश्लेषणात्मक पृष्ठभूमि के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

यहां के अधिकांश नगरों का उद्भव प्राचीन एवं मध्यकाल में हुआ है और इनका विनिमित क्षेत्र आधुनिक समाज के स्वस्थ जीवन के लिये उपयुक्त नहीं है। प्रौद्यागिकीय विकास द्वारा वर्तमान में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के कारण इन नगरों और कस्बों की अनियोजित वृद्धि भारी संख्या में ग्रामीण परिवेश से जनसंख्या का प्रवास स्थानीय

ISSN-2394-6326
Journal de Brahmavart

आवासितों का अधिक से अधिक भूमि का उपयोग सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण को जटिल बनाकर अनेक समस्याओं को निर्मित करता है। ये समस्यायें अनगिनत हैं जिन्हें बृहद् स्वरूप में दो भागों में विभाजित किया जा सकता है– 1. नगरों की असंतुलित वृद्धि, 2. उपनियोजित विकास

## 1. नगरों की असंतुलित वृद्धि (Imbalance Growth of Towns)

स्थानीय नगरों का निर्मित क्षेत्र, जलाशय, खाली भूमि जो उस नगर के नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत आती है सम्बन्धित नगर की भौतिक सम्पत्ति कहलाती है और स्थानीय कस्बों का यदि सही ढंग से प्राकृतिक वातावरण के रूप म विकसित किया जाना है तो इनका नियोजन सही ढंग से होना चाहिये। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस क्षेत्र के नगर और कस्बों की स्थिति और प्रकृति इस तरह की नहीं है। आवासीय निर्मित क्षेत्र प्रायः अस्वास्थयकर प्रतिरूप में दिखाई देते हैं। आधुनिक काल के भवन प्राचीन परम्पराओं से प्रभावित हैं। अनियोजित घर और संकीर्ण सड़क प्रतिरूप यहां के छोटे कस्बों जैसे राजापरु, मानिकपुर, तिन्दवारी, विसण्डा बुजुर्ग, सरीला, उमरी, रामपुरा, राठ, मोंठ, एरच, टोड़ी फतेहपुर, देवरी सिंहपुरा, बरूआसागर, वनगुवॉ कला, पाली तथा कबरई में दिखाई देते हैं। 21वीं सदी के प्रारम्भ से ही नगरों के अन्दर पक्की सड़कों का प्लान यहां के कस्बों में भी दिखाई देता है। फलस्वरूप संकरी गलियाँ और सड़कें, सीमेण्ट युक्त सड़क के रूप में विकसित की गई है। स्थानीय नगर पालिकायें अभी भी 30 से 40 प्रतिशत सड़कों को समुचित ढंग से पक्का करने में अक्षम दिखाई देते हैं। स्थानीय महानगर के रूप मे विकसित झाँसी में भी आन्तरिक सड़कों की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। प्रायः सभी प्रथम श्रेणी के नगर (झांसी सहित बॉदा, उरई और ललितपुर भी) नगर पालिका प्राधिकरणों के अर्थाभाव क कारण कच्ची सड़कों के रूप में सघन जनसंख्या वाले मुहल्लों की गलियों को इस प्रकार के वातावरण को बनाये रखने के लिये विवश हैं।

प्रायः सभी कस्बों एवं नगरों में सडकों के किनारे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण की समस्या निरन्तर बनी हुई है। इससे सड़कों की चौड़ाई सिकुड़ती जाती है जो स्थानीय नगरों की गम्भीर समस्या है, जिससे दुर्घटनायें और वातावरण की स्वच्छता प्रभावित होती है। अतः अतिक्रमण की समस्या को निर्मूल करने के लिये नियोजित कॉलोनियों का विकास आवश्यक है। इस क्षेत्र के प्रायः सभी नगर अथवा कस्बे ठेला लगाने वाल, रिक्शा चालकों, गरीब श्रमिकों, बेरोजगारों तथा भिखारियों के द्वारा किये गये अतिक्रमणों से बुरी तरह प्रभावित है। सिंह के अनुसार इनके द्वारा बनाये गये अस्थाई झोपड़ियाँ, मिट्टी की दीवालों, लकड़ी के आवरण द्वारा अथवा टिन की चद्दरों के माध्यम से अथवा डामर के ड्रम की चद्दर के बने हुये आवास बड़ी संख्या में प्रवासियों के रहने का केन्द्र होती हैं, स्थानीय आधार पर इन्हें झुग्गी–झोपड़ी कहा जाता है।

यहां के कुछ नगरों में बड़े जलाशय भी पाये जाते हैं किन्तु गन्दे पानी जलीय पर्यावरण के प्रदूषक अर्थात जलकुम्भी आर अन्य जलीय पौधों के कारण ये पूर्णतया अनुपयोगी बने हुये हैं। इन जलाशयों में जलभरण, प्रदूषण नियंत्रक ट्रीटमेन्ट प्लान्ट द्वारा चित्रकूट धाम, अतर्रा, महोबा, बॉदा, झॉसी, ललितपुर एवं उरई के नगरों के जलाशयों को सुरक्षित और संरक्षित करने की आवश्यकता है।

ISSN-2394-6326
Journal de Brahmavart

बढ़ते हुये परिवहन के साधनों के कारण वायु प्रदूषण की समस्या प्रायः सभी नगरो एवं कस्बों में लगातार बढ़ रही है। ऐसे भारी प्रदूषण युक्त केन्द्रों को पहचान कर नगरो में सामाजिक वानिकी द्वारा स्वच्छ एवं सुन्दर वातावरण का निर्माण भी आवश्यक है।

## 2. उपनियोजित विकास(Subplan Development)

बुन्देलखण्ड के इस पिछड़े भू–भाग के प्रायः सभी कस्बे कुछ गम्भीर सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के शिकार हैं। 1901 से 2011 के बोच हुई नगरीय जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण झॉसी, उरई, बॉदा, महोबा, राठ, मौदहा, अतर्रा, मऊरानीपुर आदि नगरों में जनसंख्या का भारी दबाव आवासितों की सघनता के रूप मे निरन्तर बढ़ रहा है जो नगरीय जनसंख्या के औसत घनत्व 1502 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2041 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होने से प्रति परिवार आवासीय क्षेत्र पर प्रति परिवार कमरो की संख्या तथा क्षेत्रफल पर आवासीय सघनता का नकारात्मक प्रभाव दर्शाता है। इसके विपरीत अध्ययन क्षेत्र के रानीपुर, चरखारी, तालबेहट, राजापुर, सरीला, माधौगढ़, समथर, देवरी सिंहपुरा तथा गरौंठा में नगरीय वातावरण अल्प नगरीय जनसंख्या वृद्धि के कारण ग्रामीण परिवेश की ओर जा रहा है। किसी स्थान का श्रमिक बल आनुपातिक दृष्टि से आर्थिक विकास का सूचक है किन्तु प्रथम श्रेणी के चारों नगरों को छोड़कर यहां के सभी कस्बों में इनका प्रतिशत घट रहा है जो सभी प्रकार के नगरों की नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत का 5 से 21 प्रतिशत के बीच है, इनमे भी इस प्रतिशत मे महिलाओ का योगदान श्रमिक बल के रूप मे नगण्य है। रोजगार उपलब्धता की कमी और अनुपयोगी जनसंख्या दक्षता अनुपात के समुचित रूप से उपयोग मे न आने के कारण यह निरन्तर सभी कस्बों में बढ़ रहा है। अतः श्रमिक जनसंख्या में आश्रितों का अनुपात लगातार बढ़ रहा है और तीव्र गति से बढ़ रहे युवा आश्रित उच्च उर्वरता दर को बढ़ाकर स्थिति को और अधिक गम्भीर कर रहे हैं। इनका विस्तृत विवरण विगत् अध्याय में कार्यशील श्रमिक, अकार्यशील जनंसख्या और उनके निर्भरता अनुपात के रूप में विश्लेषित किया गया है।

औद्योगीकरण जो नगरीकरण का प्रमुख सूचक है द्वितीयक कामगार और कुल श्रमिक के रूप में औद्योगीकरण के स्तर को बढ़ाते हैं दुर्भाग्वश यह प्रतिशत भी स्थानीय कस्बों मे बहुत कम है। यद्यपि उद्योगों के प्रकार और वितरण का विश्लेषण पूर्व के अध्यायों में किया गया है जिससे यह सिद्ध होता है कि यहां के कस्बों में कृषिगत् और स्थानोय मांग के उद्योग ही संचालित हैं। अतः औद्योगीकरण के विकास की कमी बेरोजगारी की समस्या को उत्पन्न करती है जो अन्ततः यहां के कस्बों की सामाजिक समस्या को बढ़ाने में उत्तरदायी है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली या उपयोगी सेवाये अध्ययन क्षेत्र के बहुत सारे कस्बों में अपर्याप्त हैं अतः स्थानीय व्यक्तियों को पूरित करने में अक्षम हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सरंक्षित जल प्रदाय, प्रवाह प्रणाली, जल–मल निकास एवं विद्युत आपूर्ति आवश्यक सेवाओ के उपरान्त भी नगरीय आवासित जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति में समुचित स्तर पर नहीं हैं।3 ये सेवायें आवश्कताओं के अनुरूप न होने के कारण सामाजिक संतुलन को बनाये रखने में अक्षम सिद्ध होती हैं। सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं की उपलब्धता–अनुप्लब्धता का मानक स्तर ज्ञात करने का आधार भी स्थानीय कस्बों और नगरों के नगर पालिका प्रशासन के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य के नगर नियोजन विभाग ने शैक्षणिक और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदाय का एक मानक स्तर तैयार किया जिसे अध्ययन क्षेत्र के सभी जिलों में लागू करने के उपरान्त भी यह स्तर आज भी अपने

ISSN-2394-6326
Journal de Brahmavart

न्यूनतम आधार को प्राप्त नहीं हो सका। यही कारण है कि यहां की भौतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों और आर्थिक विकास का स्तर सभी नगरो और कस्बों में एक जैसा नहीं है। इसी लिए सभी कस्बो में एक मानक लागू करना भी संभव नहीं है। किन्तु शोध के आधार को स्तरीय स्वरूप प्रदान करने के लिये शैक्षणिक सुविधाओं के स्तर तैयार कर विश्लेषण किया गया है।

**बुन्देलखण्ड (उ.प्र.): नगरीय क्षेत्रों के लिये शैक्षणिक सुविधाओं का मानक स्तर**

| शैक्षणिक सुविधाओं | स्तर |
|---|---|
| नर्सरी विद्यालय | प्रति 1500 जनसंख्या |
| प्राथमिक विद्यालय | प्रति 1000 जनसंख्या |
| पूर्व माध्यमिक विद्यालय | प्रति 3000 जनसंख्या |
| माध्यमिक विद्यालय | प्रति 5000 जनसंख्या |
| इण्टमीडिएट कॉलेज | प्रति 10000 जनसंख्या |
| महाविद्यालय | प्रति 25000 जनसंख्या |
| परास्नातक महाविद्यालय | प्रति 50000 जनसंख्या |
| विश्वविद्यालय | प्रति 100000 जनसंख्या |
| शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र | प्रति 50000 से 100000 जनसंख्या |

यदि उपर्युक्त शैक्षणिक सुविधाओं को आधार मानकर वितरण प्रणाली विकसित की जाये तो यहां के कस्बों एंव नगरों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को कुछ हद तक संतोषजनक माना जा सकता है।

स्थानीय नगरों और कस्बों के लिये समुचित उपकरणों के साथ स्वास्थ सेवायें अनिवार्य होती हैं। द्विवेदी ने लिखा है कि पाश्चात्य देशों की भांति भारत में स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं यहां पर केवल स्वास्थ सहायता प्रायः सामान्य प्रेक्टिसनर्स के द्वारा की जाती है। यद्यपि सभी कस्बों में अस्पताल तथा औषधि केन्द्र पाये जाते हैं किन्तु इनकी आवश्यकताओं के अनुसार यहां विस्तरो की संख्या नहीं है। यही कारण है कि आपात स्थिति में इन अस्पतालों में भर्ती कराते समय मरीजों को अनेक समस्यायें झेलना पड़ती हैं। सारणी 7.2 के द्वारा 2011 में उपलब्ध अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या तथा आवश्यक संख्या को दर्शाया गया है।

**बुन्देलखण्ड (उ.प्र.) नगरों/कस्बों के अस्पतालों में विस्तरों की संख्या, 2011**

| क्रं. | नगर/कस्बों का नाम | वर्तमान में विस्तरों की संख्या कुल | अतिरिक्त विस्तरों की आवश्यकता | प्रतिविस्तर जनसंख्या भार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मटौंध | 10 | 50 | 937.10 |
| 2 | बाँदा | 250 | 100 | 641.89 |
| 3 | तिन्दवारी | 5 | 25 | 2222.60 |
| 4 | बबेरू | 25 | 25 | 606.24 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ओरान | 5 | 25 | 1442.40 |
| 6 | विसण्डा बुजुर्ग | 5 | 25 | 2322.20 |
| 7 | अतर्रा | 25 | 25 | 1896.76 |
| 8 | नरैनी | 25 | 25 | 536.00 |
| 9 | मानिकपुर सरहट | 25 | 25 | 658.68 |
| 10 | चित्रकूट धाम | 500 | 0 | 114.80 |
| 11 | कर्बी माफी | 5 | 25 | 1804.80 |
| 12 | राजापुर | 15 | 25 | 895.93 |
| 13 | कुरारा | 5 | 25 | 2681.60 |
| 14 | हमीरपुर | 200 | 100 | 177.38 |
| 15 | सुमेरपुर | 150 | 50 | 260.88 |
| 16 | राठ | 250 | 50 | 260.22 |
| 17 | गोहाण्ड | 10 | 10 | 750.30 |
| 18 | सरीला | 50 | 25 | 185.42 |
| 19 | मौदहा | 50 | 50 | 800.06 |
| 20 | रमपुरा | 5 | 25 | 2588.80 |
| 21 | उमरी | 5 | 25 | 1849.60 |
| 22 | माधौगढ़ | 5 | 25 | 2571.60 |
| 23 | जालौन | 150 | 50 | 379.39 |
| 24 | कालपी | 50 | 50 | 1033.40 |
| 25 | उरई | 250 | 100 | 762.30 |
| 26 | कोंच | 25 | 50 | 2136.48 |
| 27 | समथर | 50 | 50 | 449.10 |
| 28 | मोंठ | 25 | 25 | 517.88 |
| 29 | चिरगाँव | 25 | 25 | 668.96 |
| 30 | एरच | 10 | 25 | 953.10 |
| 31 | गुरसराय | 10 | 25 | 2686.90 |
| 32 | गरौंठा | 25 | 25 | 432.28 |
| 33 | टोड़ी फतेहपुर | 10 | 25 | 1185.50 |
| 34 | मऊरानीपुर | 50 | 50 | 1228.98 |
| 35 | रानीपुर | 10 | 15 | 1813.20 |
| 36 | कटेरा | 0 | 10 | — |
| 37 | देवरी सिंहपुरा | 5 | 25 | 1160.00 |
| 38 | बरूआ सागर | 10 | 10 | 2502.80 |
| 39 | बड़ागॉव | 5 | 25 | 1717.00 |
| 40 | झॉसी | 2500 | 500 | 202.28 |
| 41 | बबीना | 25 | 50 | 1114.08 |
| 42 | पारीछा | 5 | 25 | 1409.40 |
| 43 | तालबेहट | 25 | 25 | 567.04 |
| 44 | वनगुवॉ कला | 0 | — | 0 |

ISSN-2394-6326
Journal de Brahmavart

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | ललितपुर | 100 | 50 | 1333.05 |
| 46 | पाली | 5 | 25 | 1853.40 |
| 47 | महरौनी | 10 | 25 | 941.50 |
| 48 | कुलपहाड़ | 25 | 25 | 803.84 |
| 49 | खरेला | 10 | 10 | 1374.50 |
| 50 | चरखारी | 25 | 25 | 1110.40 |
| 51 | महोबा | 150 | 50 | 634.77 |
| 52 | कबरई | 10 | 10 | 2856.40 |
| **योग** | | **5225** | **2165** | **416.87** |

स्रोत – जिला सांख्यिकी पत्रिका 2011

अध्ययन क्षेत्र में वर्तमान में सभी कस्बों अथवा नगरों में विस्तरों की कुल संख्या 5025 है जिनमें झॉसी महानगर में 2500 बिस्तर के सभी सार्वजनिक एवं निजी अस्पतालो में यह सुविधा पाई जाती है। बुन्देलखण्ड की कुल जनसंख्या का औसत 417 व्यक्तियों पर 5025 विस्तरों पर 1154 जनसंख्या निर्भर करती है। अर्थात प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर कम से कम 5 विस्तरों का मानक मानते हुये विश्लेषण करने पर यहां के अधिकांश नगरों और कस्बों में विस्तरों का अनुपात कम है।

बैंकों की सुविधायें किसी प्रदेश के आर्थिक विकास के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यहां के कस्बों में बैंक खोलने के लिये पर्याप्त आधार हैं किन्तु वर्तमान बैकिंग की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये इनका अनुपात असंतोषजनक है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार प्रत्येक पॉच हजार से अधिक की जनसंख्या पर एक बैंक का होना अनिवार्य है। कुछ नगरों में इनका प्रतिशत बहुत कम है। दी गई तालिका में बैंकों की वर्तमान संख्या तथा उनकी कमी को दर्शाया गया है।

स्वास्थ समुदाय के लिये स्वच्छ एवं सही जलापूर्ति के साथ स्वस्थ निकास आवश्यक है। अध्ययन क्षेत्र के नगरो एवं कस्बों में नदियॉ, तालाब एवं नलकूप जल प्रदाय के प्रमुख स्रोत हैं। जलप्रदाय की यह व्यवस्था 24 घण्टे न होने के कारण गम्भीर समस्या पैदा करती है। और ग्रीष्म काल मे कुछ मिनिट की गई जलप्रदाय व्यवस्था इसे और भी गम्भीर बना देती है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को 100 लीटर जल की आवश्यकता नगरीय क्षेत्रो में होती है। इस मानक स्तर के अनुसार यहां के प्रायः सभी नगरों में जल की कमी दिखाई देती है। नगरों एवं महानगरों में औसतन प्रति व्यक्ति 25 से 50 लीटर जलापूर्ति ही की जाती है यह आपूर्ति प्रातः केवल एक ही बार होती है जबकि इसे कम से कम दो बार जल प्रदाय करने की आवश्यकता है।

बुन्देलखण्ड के सभी कस्बों एवं नगरों में जल निकास की समस्या समुचित प्रवाह प्रणाली के अभाव में गम्भीर बनी हुई है। किसी भी नगर का सही ढंग से जल निकास प्रतिरूप नहीं होने के कारण यह स्थिति और भी गम्भीर हो जाती है। झॉसी जैसे महानगर में भी यह समस्या निरन्तर बनी हुई है। एक सर्वेक्षण के अनुसार झॉसी नगर की एक चौथाई जनसंख्या के पास समुचित शौचालयों की व्यवस्था नहीं है। अन्य नगरों में भी यह

ISSN-2394-6326
Journal de Brahmavart

व्यवस्था गम्भीर है। खुली नालियों के माध्यम से जल–मल निकास किया जाता है जो पूरी तरह से अस्वास्थकर है। उपर्युक्त सर्वे के अनुसार 25 प्रतिशत से अधिक,झॉसी नगर के परिवार जल–मल निकास की असुरक्षित समस्या से बुरी तरह ग्रसित हैं और यदाकदा गम्भीर बीमारियो के शिकार होते हैं। अतः प्रस्तुत जल–मल निकास व्यवस्था को भूमिगत करते हुये बनाया जाना चाहिये तथा खुली हुई नालियों की निरन्तर सफाई के द्वारा इन्हें स्वास्थयकर बातावरण मे सहयोग करने योग्य होना चाहिये।

सभी नगरों एवं कस्बों में पार्कों एंव खेल मैदानो की बहुत अधिक आवश्यकता है क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त आवश्यक है। शोध सर्वेक्षण में यह देखा गया है कि यहां के प्रायः सभी नगरों में पार्कों एवं खेल मैदानों की निरन्तर कमी बनी हुई है और वर्तमान में जो केन्द्र हैं उनका उचित रखरखाव भी नहीं है। यही कारण है कि यहां के नगर और कस्बे अनेक समस्याओं से ग्रसित हैं और नगरीय संकट को बढ़ाने में सहायक हैं। इनके तत्काल समाधान की आवश्यकता है। कस्बों एवं नगरों के सही ढंग से कार्य करने के लिये यह आवश्यक है कि सभी व्यक्ति एवं परिवार अपने चारो ओर के वातारवरण को स्वच्छ एवं स्वास्थकर बनाये रखने में सहयोग प्रदान करें। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये चरणबद्ध तरीके से कार्य योजना क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। यहां उल्लेखनीय है कि अन्य विशेषज्ञों की भांति नगरीय भूगोलवेत्ता भी नगरीय योजना के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इस हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव नगरीय वातावरण की अभिवृद्धि के लिये प्रस्तुत किये जा रहे हैं–

नगर के नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिये यहां का समुचित नियोजन आवश्यक होता है। जो कि सुविधायुक्त, स्वास्थयवर्धक, सौन्दयवर्धक और प्रसन्नता देने वाला हो। यहां कुछ पूर्व की कमियों को निराकृत करते हुये अच्छे भविष्य की कल्पना के साथ सुझाव प्रस्तुत हैं। जिनका उद्दश्य वर्तमान आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करना ही नहीं बल्कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को सतत एवं संतोषजनक बनाना है। एन.पी. लेविस के अनुसार नगरीय नियोजन केवल एक अभ्यास नहीं है जो आगामी आवश्यकताओ को उन्नत करने के लिये वर्गीकृत एवं सुनिश्चित विकास के लिये नगर का पर्यावरण स्वास्थ्यवर्धक, सुविधाजनक और सुव्यवस्थित होना चाहिये तभी इसका व्यापार और वाणिज्य एवं औद्योगिक स्वरूप विकसित अवस्था में दिखाई देगा।

नगरीय नियोजन के तत्वो में मूल रूप से संचार सेवायें, खुला वातावरण और निर्मित भूभाग जो सार्वजनिक उपयोगी सेवाओ के लिये आवश्यक होते हैं, आधार कहलाते हैं। नगरीय नियोजन के उद्देश्य के अनुसार नगरों को सुन्दर, सुचारू और स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिये। अतः उपर्युक्त तत्वों की प्राप्ति के लिये इनका नियोजन सही ढंग से किया जाना आवश्यक है। जहां तक सौन्दर्य का प्रश्न है इसे प्राकृतिक परिस्थितियों के चारों ओर फैले वातावरण द्वारा सुसज्जित करते हुये प्राचीन वास्तविक कला द्वारा सुसज्जित किया जाना चाहिये। नगरों को सुविधा सम्पन्न और सुचारू बनाने के लिये यह आवश्यक है कि विद्युत आपूर्ति के साथ नगरों की आवश्यकताओं की पूर्ति को निरन्तर किया जाये। औद्योगिक इकाईयों, परिवहन सुविधाओं, बाजारों, जलापूर्तितथा कचरे एवं औद्योगिक कचरे को ठिकाने लगाने जैसी व्यवस्था सही ढंग से होना चाहिये। स्वास्थ्यवर्धक कारको की वृद्धि के लिये भूमि का सहो उपयोग सही कार्य के लिये किया जाये। पार्कों और खेल मैदानो का उपयोग तथा वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता

ISSN-2394-6326
Journal de Brahmavart

है तथा इन सभी आवश्यकताओ ंको सुचारू बनाये रखने की अत्यन्त आवश्यकता है। यद्यपि किसी नियोजन के लिये सुझाव प्रस्तुत करना सरल है और नये कस्बों के लिये नये विकसित क्षेत्र को बनाना भी सरल है किन्तु पूर्व से विकसित किये गये क्षेत्र की योजना प्रस्तुत करना कठिन कार्य है। यद्यपि यह असम्भव नहीं है किन्तु पुरानी कमियों को समाप्त कर नये स्वरूप में निर्मित क्षेत्र को ढाला जा सकता है। द्विवेदी ने यह पाया कि वैधानिक आधार पर पुनर्नियोजन में पुराने कस्बों की वर्तमान कमियों को समाप्त किया जा सकता है। यहां कुछ सुझाव प्रस्तुत किये जा रहे हैं जिसके दो प्रमुख आधार हैं

1. वर्तमान परिस्थितियों का विकास और

2. भविष्य के विकास हेतु नियोजन।

वर्तमान के कस्बो के विकास के लिये इनका पुर्ननियोजन करते हुये ब्राउन और शेयर्ड ने पाया कि सही सेवाओं के विस्तार को प्रस्तुत करने के लिये इनका भविष्य के लिये विकास और वृद्धि के लिये नियोजन आवश्यक है। क्योंकि जिस उद्देश्य के लिये इन्हे बनाया गया है उसे बदल कर समुदाय के कल्याण के लिये विकसित किया जाना आवश्यक है। इस हेतु समस्याओं को निराकृत कर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत हैं।

1. **<u>नगरो का नवीनीकरण(Renewal of Cities)</u>:**

यहां के कस्बे ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा या ग्रामों से विकसित हुये हैं और अधिकांश छोटे कस्बों में ग्रामीण परिवेश पाया जाता है। ऐसे कस्बों के लिये एक नवीनीकृत कार्यक्रम की आवश्यकता है जिससे इनका नगरीय पर्यावरण परिवर्तित हो सके। अतः वर्तमान नगरों के स्वरूप को बदलकर भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये सुखद रहन–सहन और अच्छी कार्यप्रणाली का लाया जाना अनिवार्य है। अतः छोटी और संकरी गलियों को चौड़ा करने, जीर्णशीर्ण आवासों को समाप्त कर उन्हें नया स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकता है। जिससे नगरों की संरचनात्मक पृष्ठभूमि नये स्वरूप में परिवर्तित होगी। अतः जिससे मानव की क्रियायें पर्यावरण को संतुलित वनाये रखने में सहायक होगी और अन्य क्रियायें जैसे भविष्य की जनसंख्या वृद्धि और आवासीय आवश्यकतायें स्वतः नियोजित स्वरूप में विकसित होती जा रही है।

यहां के अधिकांश नगरों में ऐतिहासिक भवनों की बहुतायत है जिनमें झॉसी, कालपी, महोबा, चरखारी तथा चित्रकूट धाम उल्लेखनीय है। इन्हे संरक्षित कर पुरातात्विक महत्व के लिये धनार्जन हेतु विकसित किया जाना चाहिये। ऐसे मुहल्लों में अस्वास्थ्यकर परिस्थितियॉ हैं और आर्थिक रूप से विपन्न परिवार निवास करते हैं वहां के जटिल आवासीय संरचनाओं को तोड़कर नये प्रतिरूप के आवास निर्मित किये जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार के आवास प्रायः झॉसी, ललितपुर, बॉदा, हमीरपुर, राठ तथा राजापरु में पाये जाते हैं। इसी प्रकार नगरों में बेरोजगारी की गम्भीर समस्या है अतः स्थानीय नगरों एंव कस्बों में सभी प्रकार के अवसरों की वृद्धि कर इनके आर्थिक विकास की आवश्यकता है।

इसी तरह खेल मैदानों तथा पार्कों की कमी प्रायः सभी नगरों मे ंपाई जाती है। अतः बेकार और अनुपयोगी भूमि पर पार्कों तथा खेल मैदानों का विकास किया जाना अपेक्षित है।

## 2. सड़कों का विकास:(Development of Roads):

सडकें नगरों की जीवन रेखायें होती हैं इनक प्रमुख कार्य 1. व्यक्तियों तथा सामग्रियों का प्रवाह वनाये रखना, 2. आधारभूत संरचनात्मक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करना 3. प्रत्येक भवन तक आवश्यकताओं को पहुॅचाना। बुन्देलखण्ड नगर और कस्बों में सड़कों की भारी कमी पाई जाती है ये अनियोजित तथा कच्ची हैं। पुराने मुहल्लो में इनका स्वरूप अत्यंत संकीर्ण पाया जाता है। यहां के प्रायः सभी नगरों में यह एक आम समस्या है और इन सड़कों के चौड़ीकरण के साथ सही जलनिकास की व्यवस्था भी आवश्यक है।

अध्ययन क्षेत्र के झॉसी, बादा, ललितपुर, चित्रकूटधाम, राठ, अतर्रा, चरखारी, महोबा, कालपी तथा सुमेरपुर में यातायात की समस्यायें आम पाई जाती हैं जबकि छोटे कस्बों में डामरीकृत सड़कों का अभाव है। अतः नये विकसित होने वाली कॉलोनियो में सड़क योजना की गारण्टी के उपरान्त ही उन्हें विकसित किये जाने हेतु स्वीकृति दी जानी चाहिये।

## 3. आवासोय कॉलोनियों का निर्माण (Colonization of Buildings)

फील्ड सर्वेक्षण द्वारा यह पाया गया कि बुन्देलखण्ड (उ.प्र.) क्षेत्र के प्रायः सभी नगरों में आवास की अनेक समस्यायें हैं। इन्हें इसे समाप्त करने के लिये प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के नगरों में आवासीय कॉलोनियों का निर्माण बड़ी संख्या में किया जा रहा है जिनमें गरीब एवं असहाय लोगों के लिये प्रत्येक को नगरों में काशीराम आवासीय कॉलोनियॉ बनाई गई है। किन्तु इन कॉलोनियों की संख्या अभी भी बहुत कम है। झॉसी, उरई, रानीपुर और अतर्रा में श्रमिकों के लिये कॉलोनियॉ बनाई गई हैं जिसे अन्य नगरों में भी बनाया जाना आवश्यक है।

## 4. पुलों का निर्माण(Construction of Bridges):

यहां के सभी बड़े नगरों में फ्लाई ओवर ब्रिज की आवश्यकता है। झॉसी महानगर में अनेक जगह रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाई ओवर ब्रिज नहीं है। नदी किनारे वाले नगरों में पुल एवं पुलियों की नितान्त आवश्यकता है। इससे यहां के व्यापार और वाणिज्य को और गति प्राप्त हो सकेगी तथा भविष्य में बुन्देलखण्ड क्षेत्र बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण द्वारा तीव्र गति से विकसित हो सकेगा।

## 5. औद्योगिक विकास (Industrial Development):

नगरों में सड़क तथा आवासीय दशाओं के अतिरिक्त उद्योगों के विकास की विशेष महत्ता है जो नगरीय विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि झॉसी, कालपी, बॉदा को छोड़कर शेष सभी कस्बों मे औद्योगिक वातावरण नगण्य है जबकि कृषि उत्पाद, वनोत्पाद तथा इंजीनियरिंग के विकास की भारी संभावनायें विद्यमान हैं।

## सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विकास हेतु नियोजन

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू एवं सतत् वनाये रखने के लिए निम्नलिखित कार्यों का संपादन अनिवार्य है–

1. **शिक्षा (Education)**: उरई तथा बॉदा नगर में एक एक विश्वविद्यालय प्रति 50 हजार की जनसंख्या पर दो महाविद्यालय आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज, दो इण्टर कॉलेज तथा चार माध्यमिक विद्यालयों की आवश्यकता है। प्रत्येक नगर एवं कस्बे में अच्छे नर्सरी स्कूल विकसित किये जाने चाहिये जिससे अच्छे नागरिको का निर्माण हो सके।

2. **स्वास्थ्य (Health)**: स्थानीय नगरों में चिकित्सकों, अस्पतालों तथा विस्तरों की कमी बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिये दिखाई देती है। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक कस्बे एवं नगर में नवीन चिकित्सालयों के साथ स्थानीय जनंसख्या की आवश्कताओं के अनुरूप अस्पतालों का विकास किया जाना आवश्यक है।

3. **पेयजल आपूति (Supply of Drinking Water)**: स्थानीय कस्बों में पेयजल की निरन्तरता वनाये रखने के लिये नवीन जल संग्रहण टंकियों का निर्माण आवश्यक है। यद्यपि आज अधिकांश घरों में बोरिंग करके ट्यूबबल का जल प्राप्त किया जा रहा है किन्तु उन मुहल्लों एवं कॉलोनियों में जहां जल उपलब्धता एवं ट्यूबबेल खोदने के लिये उपयुक्त वातावरण नही हो वहां नगर पालिका/जल निगम को चाहिये की प्रति दिन दो वार जलापूर्ति सुनिश्चित करें।

इसी तरह गंदी तथा खुली नालियों की साफ–सफाई के साथ उन्हें ढककर जलमल निकास की व्यवस्था की जानी चाहिए। और स्थानीय नगर पालिकाओं को नगर का स्वच्छ वातावरण बनाये रखना चाहिये।

## सन्दर्भ सूची(Reference):

1. Mater, H., Geographers in City and Regional Planning, Prof. Geogr., vol. VI, 1954, pp. 7-12, Quoted in Dwivedi, R.L., Planning an Existing city: Allahabad, Nat. Geogr., vol. V, 1962, p.90.
2. Singh, V., Geographical Analysis of Slum Areas in Indian Cities With Special Reference to Kanpur, NGJI., Vol. 12, 1966 p.185.
3. Singh, V., Geographical Significance of Essential Services, in Allahabad, N.G.J.I., vol. 6, 1960, p. 176.
4. Regional Plan for Banda-Hamirpur Region 1974-99, Town and Country Planning Deptt., U.P., p. 252.
5. Dwivedi, R.L., Allahabad: A Study in Urban Geography, D.Phil. Thesis (Unpub.) Allahabad University, 1958, p. 1967.
6. Regional Plan for Banda-Hamirpur Region, p. 260.
7. Ibid., p. 275.
8. Ibid., p. 311.
9. Integrated Urabn Development Programme 1978-84 Jhansi, Project Sponsored by Nagar Palika Jhansi in Collaboration with Town and Country Planning Deptt., U.P., P. 8.
10. Dwivedi, R.L., Planning on Existing City: Allahabad, P. 80.

11. Singh. U., Some Aspects of Town Planning in India with Special Reference to Varanasi, in Singh, R.L. (ed.) Applied Geography, NGSI., Varanasi, 1968, p. 85.
12. Bhedasgaonkar, V.K., Handbook of Town Planning, Surana House Sadar Bazar, Nagpur, 1963,[. 1.
13. Quoted in Lewis, H.M., Planning the Modern City, vol. 1, John Nieley and Sone, New York, 1963, p. 7.
14. Rangawal, Town Planning, Charter Book Stall Tulsi Sadan, Anana (WLLy.) India, 1977, pp. 2-3.